

न्यायालय सहायक कलक्टर प्रथम क्रणो/उपजिलाधिकारी, नकुड़ ।
 वाद संख्या 11/08 धारा 143 ज. वि. अ.
 ग्राम सुआवेडो परगना तुलतानपुर तहसील नकुड़
 जिला तहारनपुर ।
 ओम रेजुकेशन ट्रस्ट बनाम सरकार

100
 11-08-09



संशोधित आदेश दिनांक 28/3/09

उक्त वाद में इत न्यायालय द्वारा दिनांक 21.3.08 को आदेश पारित किये गये । जितमें खतरा नं० 38 म रकबा 0.752 हे० लगानो 18.55 रुपये तालाना पर से भूराजस्व तमाप्त करते हुये आबादो घोषित को गयो है । दिनांक 18.3.09 को परमजोत सिंह धेयरमैन ओम रेजुकेशन ट्रस्ट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थो द्वारा उक्त भूमि का प्रयोग आबादो कालेज शिक्षण संस्थान ओम रेजुकेशन ट्रस्ट के प्रयोग में लाई जा रहो है । अन्त में प्रार्थना को है कि पूर्व पारित आदेश दिनांक 21.8.08 को संशोधित करते हुये आबादो के स्थान पर "आबादो कालेज शिक्षण संस्थान ओम रेजुकेशन ट्रस्ट अंकित को जायें ।

इत प्रार्थना पत्र पर मेरे द्वारा वादो के विद्वान अधिवक्ता को हुना एवं पत्रावलो का अवलोकन किया गया । पूर्व पारित आदेश में खतरा नं० 38 म रकबा 0.752 हे० लगानो 18.55 रुपये तालाना पर आबादो घोषित करते हुये भूराजस्व तमाप्त किया गया है के स्थान पर "आबादो शिक्षण संस्थान ओम रेजुकेशन ट्रस्ट" के रूप में प्रयोग में लाई जा रहो है अंकित होयें । तदनुसार संशोधन बरवाना इमत बरामद जारी किया जाये । पत्रावलो बाद पति दाखिल दफ्तर होयें ।

दिनांक 28.3.09

§ गौरव वर्मा §

सहायक कलक्टर प्रथम क्रणो/
 उपजिलाधिकारी, नकुड़ ।

नकलवती
 मिलाजद ती४

प्रमाणित प्रतिलिपि

क्र० सं०/दिनांक... 16/1/2009
 सेवारी का दिनांक... 20/1/2009
 निरंत करने का दिनांक... 20/1/2009
 शुल्क... 1/1/2009... शब्द...
 (स.ग.म.स.)

वाचक/अहलमद
 उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट
 नकुड़, सहायतपुर



न्यायालय सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी / उप जिलाधिकारी नकुड

वाद संख्या 11/2008

धारा- 143 ज0धि0अ0

ओम एजुकेशन ट्रस्ट

व्याज

सरकार

भीजो सुआखेडी

परगना सुलतानपुर तहसील नकुड

दिनांक 21/08/2008

सुद आदेश दिनांक - 21.8.08

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही प्रथमक परमजीत सिंह पुत्र श्री मिहा सिंह निवासी हुडडा कालोनी जगाधरी जिला यमुना नरै हरियाणा द्वारा ओम एजुकेशन ट्रस्ट स्थित मकान नं0 586 सैक्टर 17 हुडडा जगाधरी जिला यमुनानगर- हरियाणा के प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भ हुई । प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार नकुड से केशरी गयी तहसीलदार नकुड द्वारा अपनी जांच आख्या दिनांक 31-7-08 में अर्पित किया गया है कि भूमि खसरा नम्बर 38 ग/0752 हे0 लगानी 18-55 पैस सालाना स्थित ग्राम सुआखेडी परगना सुलतानपुर से भूराजस्व समाप्त कर आवादी घोषित की जाये । उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में ओम एजुकेशन ट्रस्ट स्थित मकान नं0 586 सैक्टर-17 हुडडा जगाधरी जिला यमुनानगर द्वारा प्रथमक परमजीत सिंह पुत्र मिहा सिंह निवासी गण0 586 सैक्टर 17 हुडडा कालोनी जिला यमुनानगर- हरियाणा के नाम रजिस्टरीय भूमिधारी के रूप में दर्ज है स्थल पर उक्त भूमि में कृषि कार्य नहीं हो रहा है बल्कि इस भूमि में सीकेंडर चार दीवारी का निर्माण कर धार दीवारी आदि का निर्माण किया जा रहा है । ग्राम सुआखेडी के खसरा संख्या 2 में खसरा नम्बर 38 ग संख्या 0752 हे0 लगान 18-55 पैस सालाना से धारा 143 ज0धि0अ0 के नियम 135 के तहत भूराजस्वों समाप्त करने की तहसीलदार नकुड द्वारा संस्तुति की गयी है ।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया । साथ में श्री परमजीत सिंह पुत्र मिहा सिंह, निरंजन सिंह क्षेत्रीय लेखपाल के ध्यान कराये गये । लेखपाल ने अपने ध्यान में अभिलिखित कराया है कि इस रकबे पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है बल्कि ओम एजुकेशन ट्रस्ट की बिल्डिंग व चार दीवारी का निर्माण हो रहा है । आवादी घोषित किये जाने के सम्वन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है ।

वैने पत्रों के दिवाण अधिवक्ताओं को सुना एवं राजस्वों का अन्वेषण किया तहसीलदार नकुड की संस्तुति आख्या दिनांक 31-7-2008 के आधार पर भूमि खसरा नम्बर 38 ग संख्या 0752 हे0 लगानी 18-55 पैस सालाना स्थित ग्राम सुआखेडी परगना सुलतानपुर तहसील नकुड जिला सहारनपुर से भूराजस्व 18-55 रू0 समाप्त करते हुए आवादी घोषित की जाती है । तहसीलदार परगना अगलदशमद जारी होंगे । पत्रावली वाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जाये ।

दिनांक - 21 अगस्त 2008

सकलकर्ता

मूल प्रसाद गुप्ता

मिलानकर्ता

सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी

नकुड ।